

समाहरणालय, रोहतास, सासाराम

(जिला स्थापना प्रशाखा)

आदेश सं०.63/11-12

दिनांक 16.09.2011 को सम्पन्न चयन समिति के बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थियों को निम्न शर्तों के अनुसार वरीय उप समाहर्ताओं के लिए अनुबंध पर कार्यपालक सहायक के पद पर चयनित किया जाता है। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 25.10.11 तक जिला स्थापना शाखा में योगदान करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि तक योगदान नहीं करने पर उनका चयन रद्द समझा जायेगा।

Sl. No.	Applicant ID	Applicant Name	Fathers Name	Category
1	ROH01623	Sunil Kumar Tiwari	Rameshwar Tiwari	GEN
2	ROH00927	Abhay Kumar	Late Deo Muni Singh	GEN
3	ROH00115	Santosh Kumar	Satya Prakash Singh	BC

1. यह नियोजन मात्र एक वर्ष के लिए ही होगा। भविष्य में आवश्यकता रहने एवं कार्य संतोषजनक पाये जाने पर नियोजन अवधि का विस्तार भी किया जा सकता है।
2. इन्हें चयन हेतु आने जाने का कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
3. इन्हें राशि का भुगतान पद पर योगदान की तिथि से देय होगा।
4. इन्हें मानदेय का भुगतान सरकार से राशि प्राप्त होने के उपरांत ही होगा। मानदेय की राशि Lump Sump 7000.00 (सात हजार) रुपये प्रतिमाह होगा।
5. इन्हें योगदान के समय कार्यों के निष्पादन हेतु अपने साथ निम्न कम्प्यूटर/हार्डवेयर लाने होंगे। (क) एक डेस्क टॉप (ख) एक प्रिंटर (Black & White) (ग) एक यू0पी0एस0 (घ) इन्टरनेट कनेक्शन।
6. अगर इस बीच में नियमित आशुलिपिक का नियोजन होता है तो वैसी
7. यदि सरकार या जिला पदाधिकारी द्वारा इस अवधि में कोई अन्यथा निर्णय परिस्थिति में इनका नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। लिया जाता है तो वैसी परिस्थिति में भी इनका नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा।
8. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर इनका नियोजन कभी भी समाप्त किया जा सकता है।
9. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
10. नियोजित कार्यपालक सहायक कभी भी सेवा स्थायी करने हेतु दावा नहीं करेंगे।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,  
रोहतास, सासाराम।

- ज्ञापांक.....स्था0/दिनांक.....
- प्रतिलिपि : 1. मिशन निदेशक सह सरकार के प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सरकार के संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या 6616 दिनांक 08.07.2010 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी संबंधित अभ्यर्थियों को..... को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,  
रोहतास, सासाराम।

NIC, ROHTAS

DIARY

15/10/2011 4:20  
DATE: TIME:

BY:

ज्यापांक...1051...स्था0 / दिनांक...15-10-11  
प्रतिलिपि :- ✓ जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही उन्हें निदेश दिया जाता है कि Executive Assistant के पद के लिए आवेदकों के E-mail ID पर सूचना भेजना सुनिश्चित करें।

12/10/11  
जिला पदाधिकारी,  
रोहतास, सासाराम।